RNI Regd. No. 7756/59

स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष अभिव्यक्ति

60वां वर्ष

दण्डकारण्य समाचार

जगदलपुर व रायपुर से एक साथ प्रकाशित

■ जगदलपुर, गुरूवार 12 जुलाई 2018 ■ वर्ष 60 ■ अंक 177 ■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य 2.00 ■ प्रधान संपादक - तुषार कांति बोस

बीएसएफ के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

औरंगाबाद ,11 जुलाई (ए)। बिहार के औरंगाबाद जिले में बीएसएफ के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है. जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से बीएसएफ के इस हेलिकॉप्टर की लैंडिंग करानी पड़ी. घटना जिले के गोह प्रखंड के सहरसा गांव की है. मिली जानकारी के मुताबिक में जिस हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है उसे सीआरपीएफ ने उपयोग के लिये ले रखा था.

भूस्खलन से आठ बच्चों समेत 9 की मौत

इंफाल ,11 जुलाई (ए)। मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में बुधवार को भूस्खलन की घटना में आठ बच्चों सहित नौ लोगों की मौत हो गई। राज्य आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष अदिम पनमेई ने कहा कि मृतकों में तीन लड़कियां व दो लड़के हैं, जबकि दो और बच्चे लापता है।

अब राशन की दुकान से मिलेगी सस्ती दाल

नई दिल्ली ,11 जुलाई (ए)। आने वाले समय में राशन की दुकानों पर दालें भी मिलने लगेंगी। केंद्र सरकार देश के 200 जिलों में राशन की दुकानों पर दाल बेचने की व्यवस्था लाने पर विचार कर रही है। इन 200 जिलों में वही जिले शामिल होंगे, जो पोषण के मामले में पिछड़े हैं।

सलाम सिंह राठौर को 7 साल की सजा

नई दिल्ली ,11 जुलाई (ए)। नेवी वॉर रूम लीक केस में कैप्टन (रिटायर्ड) सलाम सिंह राठौड़ को सात साल की सजा सीबीआई + की एक अदालत ने बुधवार को सुनाई। इस केस में दूसरे आरोपी जरनैल सिंह कालरा को कोर्ट ने बरी कर दिया। सलाम सिंह को नेवी वॉर रूम और एयरफोर्स हेडक्वॉर्टर से 7000 पन्नों के गोपनीय दस्तावेज और खुफिया जानकारी पैसों के लालच में अनजान लोगों को सौंपने को दोषी पाया गया। बता दें कि 2005 में नेवी वॉर रूम और एयर डिफेंस चॉर्टर से सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और गोपनीय सूचनाएं राठौड़ ने किसी अनजान शख्स को दी थी।

बच्चियों को बेसमेंट में 6 घंटे किया बंद

राबिया स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नईदिल्ली ,11 जुलाई (ए)। चांदनी चौक स्थित राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल को दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से नोटिस भेजा गया है. वहीं स्कूल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है. स्कूल पर छोटी-छोटी बच्चियों को 6 घंटे तक बंधक बनाने का आरोप है.

बता दें कि पुरानी दिल्ली के मशहूर राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में 4-4 साल की बच्चियों को 6 घंटे तक बेसमेंट में बंद रखने का मामला सामने आया है. अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने फीस न जमा करने के चलते बच्चियों को घंटों रोके रखा. इस बाबत उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

वहीं स्कूल की प्रिंसिपल फराह दीबा का कहना है कि बच्चों की देखरेख के लिए बेसमेंट में दो टीचर मौजूद थे. उन्होंने बताया कि बच्चे अक्सर उस जगह खेलते हैं और घटना के दिन बेसमेंट का पंखा रिपेयरिंग के लिए भेजा गया था.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, स्कूल की छुट्टी होने पर अभिभावक जब बच्चियों को लेने पहुंचे तो उन्हें वे वहां नहीं दिखे. उन्होंने फिर स्कूल के कर्मचारियों से बच्चों के बारे पूछा, तो बताया गया कि फीस न जमा होने की वजह से उन्हें बेसमेंट में रखा गया है. राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल हमदर्द ग्रुप के तहत चलता है और जिसकी फीस 2500 से 2900 रुपये के करीब है. हालांकि जिन बच्चियों को बेसमेंट में रखा गया है, उनमें से कुछ के अभिभावकों के मुताबिक, उन्होंने एडवांस में स्कूल फीस जमा कर दी थी.

स्कूल में पूछताछ करने पहुंचे मंत्री और अफसर

नई दिल्ली,11 जुलाई (ए)। फीस के नाम पर चांदनी चौक के राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में 59 बच्चियों को बंधक बनाने के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है और शिक्षा विभाग की टीम जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है।

दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस घटना को हैरान कर देने वाला बताया है और ऐक्शन लेने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में सेक्रेटरी और एजुकेशन डायरेक्टर को सभी तथ्यों के साथ तलब किया है।

बाढ़

मुंबई में नल्लासोपरा क्षेत्र में हुई भारी बारिश के बाद पांतों पर पानी भर जाने के कारण स्थगित पश्चिमी रेलवे के एक सेक्शन में फंसे हुए पर्यटकगण।

सेना के जवान अब नहीं करेंगे नौकरों जैसा काम

नई दिल्ली ,11 जुलाई (ए)। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने 12 लाख सेना समेत आर्मी से रिटायर हो चुके अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत सीएसडी शराब और आर्मी कैंटीन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर भी सख्त हिदायत दी गई है।

सेना प्रमुख रावत ने कहा कि अब किसी भी फौजी से नौकरों (अर्दलियों) जैसा काम नहीं कराया जाएगा। बता दें इस पर काफी बार मुद्दा उठ चुका है कि कई जवानों से अर्दलियों का काम लिया जाता है। जो बड़े अधिकारियों के घर का हर काम देखते हैं। रावत द्वारा जारी की गई की इस नई गाइडलाइन पर एक वरिष्ठ आर्मी अधिकारी ने कहा कि जवानों का फिटनेस स्टैंडर्ड लगातार गिर रहा है जिस वजह से यह जरूरी कदम उठाए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि ज्यादातर यही माना जाता है कि सेना में अनुशासन उच्च स्तर पर है और भ्रष्टाचार बहुत कम। फौजी अनुशासन में रहकर ही हर काम करते हैं यहां तक कि वहां खाने को भी बहुत कम बर्बाद किया जाता है।

नई गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से हिदायतें दी गई हैं, कि यदि कोई अधिकारी किसी भी रूप से भ्रष्टाचार जैसे मामलों से जुड़े है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भले ही फिर वो किसी भी पोस्ट और रैंक पर हो। अब किसी भी रेजीमेंट या स्टेशन में हो रही अजीबो-गरीब चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीएसडी शराब और किराने के सामान का दुरुपयोग करते पाया गया, उसके खिलाफ शख्त कार्यवाई की जाएगी।

सैनिकों को मिलने वाले खाने में पूड़ी, पकौड़ा और मीठे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बदले अब सैनिकों हेल्दी खाना दिया जाएगा।

सेना के आंतरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कई चीजों में बदलाव किया गया है।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा समलैंगिकता पर फैसला

नई दिल्ली ,11 जुलाई (ए)। समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं, केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर कोई स्टैंड नहीं लिया और कहा कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत सहमति से बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा कि हम 377 के वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं, लेकिन अगर सुनवाई का दायरा बढ़ता है, तो सरकार हलफनामा देगी।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पांच जजों की बेंच सुनवाई कर रही है।बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने कहा है कि अगर दो बालिग व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनते हैं तो इसे अपराध करार नहीं दिया जा सकता।इसके साथ ही केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि समलैंगिक विवाह, संपत्ति और पैतृक अधिकारों जैसे मुद्दों पर विचार न किया जाए क्योंकि इसके कई प्रतिकूल परिणाम होंगे। केंद्र ने साफ कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए संबंधों से जुड़ी धारा 377 की वैधता के मसले को हम अदालत के विवेक पर छोड़ते हैं। उधर, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह खुद को इस बात पर विचार करने तक सीमित रखेगा कि धारा 377 दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए संबंधों को लेकर असंवैधानिक है या नहीं।

बीएसएनएल ने शुरू की देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा

नई दिल्ली,11 जुलाई (ए)। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने देश की पहली इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू की है। अब कंपनी के ग्राहक उसके 'विंग्स' मोबाइल एप से देशभर में किसी भी टेलीफोन नंबर पर कॉल कर सकेंगे। इससे पहले मोबाइल एप पर कॉल करने की सुविधा किसी विशिष्ट एप के जरिये आपस में ही कर सकते थे, लेकिन अब एप से किसी भी टेलीफोन नंबर पर कॉल किया जा सकेगा।

इस सेवा का शुभारंभ करते हुए दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा प्रतिस्पर्धी परिवेश में बीएसएनएल का बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना एक सराहनीय कार्य है। इंटरनेट टेलीफोन सेवा शुरू करने के लिए मैं बीएसएनएल के प्रबंधन को बधाई देता है। यह सेवा उपयोक्ताओं को बिना सिम के कॉल करने की सुविधा देगी। इस सेवा का उपयोग कर बीएसएनएल के उपयोक्ता देश में किसी भी नेटवर्क पर कॉल कर सकेंगे। इसे वह बीएसएनएल वाई-फाई या किसी अन्य सेवा प्रदाता के इंटरनेट का प्रयोग कर उपयोग कर सकते हैं।

गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग में निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई दूरसंचार आयोग ने वैध दूरसंचार लाइसेंस रखने वाली कंपनियों को एप आधारित कॉल सेवा देने की अनुमति प्रदान की है।

यात्रा

जम्मू में राम मंदिर आधार शिविर पर अमरनाथ यात्रा के पंजीयन के लिए कतारबद्ध होते हुए पानी से बचने के लिए प्लास्टिक कवर एवं छाते पकड़े हुए साधूगण।

प्रमोशन में आरक्षण

सुको की संवैधानिक पीठ करेगी मामले पर सुनवाई

नई दिल्ली ,11 जुलाई (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले में 2006 में दिए गए अपने फैसले के मामले में कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अब मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच देखेगी। संवैधानिक बेंच में पहले से कई मामले लिस्टेड हैं ऐसे में संवैधानिक बेंच अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई कर सकती है। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सात जजों की संवैधानिक बेंच मामले की जल्द सुनवाई करे। संवैधानिक पीठ देखेगी कि 2006 के सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच के फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत है या नहीं।

2006 में नागराज से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया था। 2006 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई की और कानून को सही ठहराते हुए शर्त लगाई थी कि आरक्षण से पहले यह देखना होगा कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़ापन है या नहीं, और इसके लिए आंकड़े देने होंगे। नागराज के फैसले में कहा गया था कि क्रिमी लेयर का कान्सेप्ट यहां लागू नहीं होता।

आज का इतिहास

<u>1823</u> भारत में निर्मित पहले वाष्प चलित जहाज डायना का जलावतरण हुआ।

<u>1959</u> युवराज करीम दो करोड़ इस्माइल मुसलमानों के आगा खान बने ।

<u>1979</u> किरिबाती 80 वर्ष के ब्रिटिश के बाद स्वतंत्र हुआ।

<u>1902</u> आस्टेलिया की संसद ने महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया।

बहुत खूब

भोपालः दो सरकारी अधिकारियों को अपने कुत्ते को खुले में शौच करवाने पर जुर्माना

अल नीनो फैला सकता है हजारों मिल दूर तक हैजा

लंदन 11 जुलाई (ए)। ऊष्ण कटिबंधीय प्रशांत के भूमध्यीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आये बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना अल नीनो का बड़ा खतरा सामने आया है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि अल नीनो समंदर पार हजारों मील दूर तक हैजा जैसी जलजनित बीमारियां फैलने का कारण बन सकता है।

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के शोधकर्ताओं ने रिपोर्ट में इस खतरे का उल्लेख किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लैटिन अमेरिकी देशों में जलजनित बीमारियां अल नीनो के संपर्क से फैल रही हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं के उठने और सतह के पानी के अप्रत्याशित रूप से गर्म होने की प्रक्रिया को अल नीनो कहा जाता है।

अल नीनो की यह प्रक्रिया हर तीन से सात साल में होती है। हाल के वर्षो में जलवायु परिवर्तन के कारण अल नीनो का प्रभाव नियमित रूप से देखने को मिला है। पिछले ३० वर्षो में १९९०-९१, १९९७-९८ और २०१० में अल नीनो प्रभावशाली रुप से देखा गया है। इस अवधि में १९९० में पेरू में हैजा का भयंकर प्रकोप देखा गया था। वहां इस दौरान हैजा से १३,००० लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद १९९७, २०१० में भी संक्रमित जलीय जीवों को खाने से नए तरह का संक्रमण सामने आया था। जीनोमिक अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं का कहना है कि एशिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और लैटिन अमेरिकी देशों में हाल में मिले कुछ बैक्टीरिया एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

चुनावी रैली में आत्मघाती हमला, 20 की मौत

पेशावर,11 जुलाई (ए)। पाकिस्तान के पेशावर शहर में मंगलवार रात एक चुनावी रैली में में हुए संदिग्ध आत्मघाती विस्फोट में अवामी नैशनल पार्टी (एएनपी) के नेता हारून बिल्लौर सहित 20 लोग मारे गए। याकातूत इलाके में हुए इस धमाके घायल हुए लोगों को पास के लेडी रीडिंग अस्पताल भेजा गया। हमले में 30 लोग घायल हुए हैं।

विस्फोट तब हुआ जब बिल्लौर और एएनपी के कार्यकर्ता पार्टी एक चुनावी रैली के लिए इकट्ठे हुए। बिल्लौर के मंच पर पहुंचने पर वहां पटाखे चलाए जा रहे थे कि तभी एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। डॉन अखबार के मुताबिक विस्फोट में बिल्लौर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

दिल्ली को दहलाने की आईएस की साजिश नाकाम

नई दिल्ली ,11 जुलाई (ए)। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की साजिश का पर्दाफाश किया है। एक बेहद साहसी काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में आत्मघाटी हमलावर को दबोचा गया जो दिल्ली में वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आईएस की तरफसे उस हमलावर के रहने का दिल्ली में इंतजाम भी किया गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया।

सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने यह गिरफ्तारी नई दिल्ली के लाजपत नगर में सितंबर 2017 में की थी लेकिन शीर्ष राजनयिक और इंटेलिजेंस सूत्रों ने अब इसकी पुष्टि की है। आईएस का हमलावर नई दिल्ली में एक इंजीनियरिंग छात्र के रूप में रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे अफगानिस्तान भेज दिया गया और माना जाता है कि इस समय वो अफगानिस्तान में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य बेस में कैद है। सूत्रों के अनुसार इस हमलावर से पूछताछ में ऐसे संकेते मिले हैं कि 22 मई, 2007 को यूके के मैनचेस्टर अरीना में हुए आत्मघाती बम धमाके में इसी आईएस समूह का हाथ था। अमेरिका से मिली खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह भी पता चला कि आईएस ने धमाके के लिए नई दिल्ली को भी टारगेट बनाया है। इसी मौके पर यह तय हुआ कि उस आईएस सर्किट में घुसपैठ की जाएगी। टेलिफोन इंटरसेप्ट्स में पता चला कि हमलावर नई दिल्ली पहुंच चुका है। ऐसे में अफगान से दोस्ती करने के लिए एक एजेंट को चुना गया। सूत्रों के अनुसार, भारतीय एजेंट वही था जिसने हमलावर को लाजपत नगर में सुरक्षित जगह दिलाई। इसके बाद भारतीय एजेंट को विस्फोटकों का इंतजाम करने को कहा गया, तभी कई सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर घर के बाहर सुरक्षा घेरा बनाया।

भारतीय एजेंट ने हमलावर को जो विस्फोटक दिए उसके साथ कोई ट्रिगर नहीं था।

लॉग ऑन करें : दण्डकारण्य समाचार इंटरनेट संस्करण http://www.dandakaranyasamachar.com Go